अधिसूचना   नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 12/2016-सेवा कर

सा.का.नि.   (अ).- केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 474(अ), तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 32/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

1. उक्त अधिसूचना में,--

(1) प्रारंभिक पैरा में,--

(क) "विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"या जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अधीन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त जैव-इन्क्युबेटर,":

(ख) शर्त 1 और शर्त 2 में, "या प्रौद्योगिकी कारबार इन्क्युबेटर" शब्द और अक्षरों के पश्चात् "जैव-इन्क्युबेटर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(2) प्ररूप 1 में,--

(क) शीर्षक में "विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमता पार्क" शब्द के पश्चात् "या जैव-इन्क्युबेटर" शब्द जोड़े जाएंगे ;

(ख) मद (क) में, "पार्क" शब्द के पश्चात् "/जैव-इन्क्युबेटर" चिन्ह और शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(3) प्ररूप 2 में,--

(क) शीर्षक में "विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमता पार्क" शब्द के पश्चात् "/जैव-इन्क्युबेटर" चिन्ह और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) क्रम सं0 4 में, "विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमता पार्क (इन्क्युबेटर)" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर "विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमता पार्क (इन्क्युबेटर/जैव-इन्क्युबेटर)" शब्द, कोष्ठक और चिन्ह रखे जाएंगे ।

2. ये अधिसूचना 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू]

(क. कालिमुत्तु)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 32/2012-सेवा कर, तारीख 20 जून, 2012, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. 474(अ) तारीख 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।